भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1875

उत्तर देने की तारीख : 30.07.2026

महाराष्ट्र में पीएम विश्वकर्मा

1875. श्रीमती सुप्रिया सुलेः
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र में पीएम विश्वकर्मा योजना के शुरू होने के बाद से प्राप्त आवेदनों, सत्यापित लाभार्थियों, जारी किए गए पीएम विश्वकर्मा पहचान पत्रों और प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या सहित इस योजना के कार्यान्वयन का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में टूलकिट प्रोत्साहन, संपार्श्विक-मुक्त ऋण, डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का व्यवसाय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में विशेष रूप से लाभार्थी सत्यापन, ऋण लिंकेज, टूलकिट वितरण और कौशल प्रशिक्षण पूरा होने सहित योजना के कार्यान्वयन की गति की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र में सभी अठारह (18) अधिसूचित पारंपरिक व्यवसायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है और यदि नहीं, तो इसके कवरेज में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) महाराष्ट्र में पीएम विश्वकर्मा कारीगरों के लिए बाजार संबंधों, ई-कॉमर्स पहुंच, ब्रांडिंग, उत्पाद की गुणवत्ता और निर्यात के अवसरों को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : पीएम विश्वकर्मा स्कीम की शुरुआत दिनांक 17.09.2023 को 18 ऐसे पारंपरिक व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को, जो अपने हाथों और उपकरणों द्वारा काम करते हैं, शुरू से अंत तक समग्र सहायता प्रदान करने के लिए हुई थी। महाराष्ट्र राज्य में स्कीम की शुरुआत के बाद से योजना के संबंध में प्राप्त आवेदनों, सत्यापित लाभार्थियों, जारी किए गए पीएम-विश्वकर्मा पहचान पत्रों की संख्या और प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या को दर्शाते हुए पीएम-विश्वकर्मा स्कीम के कार्यान्वयन का जिला-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) : महाराष्ट्र राज्य में टूलकिट प्रोत्साहन, संपार्श्विक-मुक्त ऋण, डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का ट्रेड-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) : राष्ट्रीय स्तर पर, स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) की नियमित बैठकों के माध्यम से की जाती है, जिसकी सह-अध्यक्षता सचिव, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) और सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय करते हैं। इसके अलावा, राज्य स्तर पर, स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी प्रधान सचिव (उद्योग/एमएसएमई) की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएमसी) करती है।

(घ) : स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में सभी अठारह अधिसूचित पारंपरिक व्यापार कवर किए गए हैं।

(ड.) : पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत, लाभार्थियों को विपणन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। आज की तारीख तक, महाराष्ट्र में दो राज्य-स्तरीय मेलों/प्रदर्शनियों सहित देश भर में 82 व्यापार मेले और 37 राज्य-स्तरीय पीएम विश्वकर्मा प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं।

अनुबंध-I

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1875, जिसका उत्तर दिनांक 30.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

महाराष्ट्र राज्य में पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन, सत्यापित लाभार्थियों, जारी किए गए पीएम-विश्वकर्मा पहचान-पत्र और प्रशिक्षित लाभार्थियों की जिला-वार संख्या।

क्र.सं.	जिला	प्राप्त आवेदन	सफल पंजीकरण और जारी किया गए पीएमवी आईडी	पूर्ण हुआ मूलभूत प्रशिक्षण
1	अहिल्यानगर	1,09,427	9,991	7,586
2	अकोला	69,069	6,642	5,361
3	अमरावती	1,63,605	24,101	21,053
4	बीड	1,15,342	4,643	3,396
5	भंडारा	80,166	19,567	16,266
6	बुलढाना	1,23,174	17,041	14,729
7	चंद्रपुर	95,272	14,323	12,218
8	छत्रपति संभाजीनगर	1,79,500	8,428	3,233
9	धाराशिव	11,236	2,868	1,597
10	धुले	86,420	2,188	1,397
11	गडचिरोली	38,498	6,655	5,379
12	गोंदिया	68,000	8,711	7,148
13	हिंगोली	54,589	3,777	3,083
14	जलगांव	1,37,280	6,570	4,892
15	जालना	1,21,838	10,397	8,540
16	कोल्हापुर	67,226	15,521	11,669
17	लातूर	70,376	5,379	4,520
18	मुंबई	20,683	1,777	166
19	मुंबई उपनगरीय	4,773	1,158	204
20	नागपुर	1,43,695	16,643	13,371
21	नांदेड़	1,33,257	15,072	12,533
22	नंदुरबार	60,946	3,537	2,162
23	नासिक	1,66,190	10,470	8,179
24	पालगढ़	24,180	3,788	1,748
25	परभनी	96,550	8,018	6,612
26	पुणे	1,21,655	8,674	6,175
27	रायगढ़	15,272	3,385	1,798
28	रत्नागिरि	9,383	3,385	759
29	सांगली	46,179	5,325	3,575
30	सतारा	25,570	3,510	2,152
31	सिंधुदुर्ग	5,674	1,476	449
32	सोलापुर	47,673	3,449	2,395
33	थाने	36,784	1,801	840
34	वर्धा	38,472	8,255	7,422
35	वाशिम	29,929	4,096	3,448
36	यवतमाल	1,10,283	12,677	11,608
	कुल	**27,28,166**	**2,83,298**	**2,17,663**

अनुबंध -II

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1875, जिसका उत्तर दिनांक 30.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-II

महाराष्ट्र राज्य में पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत व्यापार-वार टूलकिट प्रोत्साहन, संपार्श्विक-मुक्त ऋण और डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन

क्र.सं.	व्यापार का नाम	वितरित टूलकिट	संस्वीकृत ऋणों की संख्या	डिजिटल प्रोत्साहनों की संख्या
1	अस्त्रकार	788	97	595
2	बार्बर (नाई)	19,007	12,217	16,178
3	टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/कैंयर बुनकर	6,195	1,835	2,221
4	नाव निर्माता	144	21	297
5	कारपेंटर (सुथार/बढ़ई)	22,486	11,443	13,353
6	कॉबलर (चर्मकार)/जूता बनाने वाला/फुटवियर कारीगर	9,576	3,242	4,824
7	गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक)	8,950	2,822	5,677
8	फिशिंग नेट मेकर	9,754	1,859	3,265
9	गारलैंड मेकर (मालाकार)	4,996	2,196	2,919
10	गोल्डस्मिथ (सुनार)	8,487	2,626	5,416
11	हथौड़ा और टूल किट निर्माता	7,103	1,614	3,984
12	ताला बनाने वाला	135	21	338
13	मेसन (राजमिस्त्री)	22,711	9,685	11,488
14	मेटल स्मिथ/मेटल कास्टर (धातु-शिल्पी)	8,845	3,186	4,562
15	पॉटर (कुम्हार)	7,872	3,492	3,918
16	स्कल्पटर (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला	1,366	972	1,953
17	टेलर (दर्ज़ी)	15,798	5,089	3,739
18	वॉशरमैन (धोबी)	6,782	2,747	3,795
	कुल	1,60,995	65,164	88,522